JALAUN POLICE

दिनांक – 21.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमे में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– वादी रूप सिंह पुत्र स्व0 मेघ सिंह नि0 ग्राम देवरी कोतवाली व जनपद जालौन द्वारा कोतवाली जालौन में तहरीरी सूचना दी गयी कि अभियुक्त नीरज पुत्र चन्द्रभान द्वारा जान से मारने की नीयत से कुल्हाडी से वार करके वादी के भाईयों को गम्भीर रूप से घायल कर देना।

जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली जालौन में दिनांक दिनांक 17.10.2019 को मु0अ0सं0 559/2019(वाद सं0 23/2020) धारा 307 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 17.10.2019 को अभियुक्त नीरज उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 12.12.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.08.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।